२२/७/२२

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 25/7/22 को पेश हो।

25/07/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विप्रार्थी के वकील उप०। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC का जवाब पेश किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। आदेश 7 नियम 11 CPC को स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 288/2021
पीठासीन अधिकारी– श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण – 1. देदाराम पुत्र जगमालराम
2. खेमाराम पुत्र जगमालराम
3. लिखमाराम पुत्र जगमालराम जातियान कुम्हार
निवासी गौड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थी – 1. नारणाराम पुत्र केशाराम जाति सोनी
निवासी गौड़ा तहसील सेड़वा
2. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – श्री दोष मोहम्मद
विप्रार्थी संख्या 1 के वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

निर्णय

दिनांक :– 25.07.2022

राजस्व आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा गौड़ा पटवार क्षेत्र गौड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 514/73 रकबा 31.17 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। प्रार्थीगण के खेत के सेढ़े पर विप्रार्थी का खातेदारी के खेत मौजा गौड़ा पटवार क्षेत्र गौड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 515/73 रकबा 32.05 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि विकेता मोटाराम पुत्र चिमा जाति कुम्हार निवासी गौड़ा से दिनांक 03.03.1993 को कय की थी। उक्त खसरे की तरमीम करवाते समय विप्रार्थी ने प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी के खेत के खेत के मध्य राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत तौर पर तरमीम करवा दी तथा प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा नक्शे में की गई तरमीम से विपरित है। उक्त गलत तरमीम की आड़ में विप्रार्थी के प्रार्थीगण के [illegible] व टांके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

ध आधिपत्य करने पर उतारू है। मौके पर प्रार्थी के कब्जे–काश्त अनुसार
तरमीम नहीं की जाकर गलत तरमीम की गई है। विप्रार्थी ने अधीनस्थ कर्मचारी
हल्का पटवारी से मिलकर अपनी मनमर्जी से राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम करवा
दी तथा प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त की भूमि को अपनी भूमि में समाहित करते हुए
नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम करवा दी जो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित है।
मौके पर विप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के बिल्कुल
विपरीत है इस प्रकार उक्त तरमीम गलत होने से खारीज कर पुनः मौके एवं
कब्जा–काश्त अनुसार व परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल में दर्शाए अनुसार है। परिशिष्ट
'अ' में दर्शाए गए बरंग काला की भूमि पर विप्रार्थी का कब्जा काश्त है और इसी
अनुसार प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी की तरमीम राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का को करनी
चाहिए थी किन्तु पटवारी हल्का ने जहां प्रार्थी का कब्जा काश्त की भूमि में विप्रार्थी
की तरमीम कर दी जिसे प्रार्थीगण शुद्ध करवाना चाहते है। आवेदन के साथ संलग्न
परिशिष्ट 'अ' में जो भूमि बरंग लाल के रूप में दर्शायी गई है वहां प्रार्थीगण की
तरमीम करनी है तथा जो भूमि बरंग काला दर्शायी गई है वहां विप्रार्थी की तरमीम
करनी है। जिस हेतु उक्त आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती का प्रस्तुत हैं परिशिष्ट 'अ'
को आवेदन का अभिन्न अंग समझा जाये। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि
प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा गौड़ा पटवार क्षेत्र गौड़ा तहसील सेड़वा जिला
बाड़मेर में खसरा नम्बर 514/73 रकबा 31.17 बीघा किस्म बारानी सोयम व
विप्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा गौड़ा पटवार क्षेत्र गौड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र
सोनड़ी तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 515/73 रकबा 32.05 बीघा किस्म बारानी
सोयम की लट्ठा ट्रेस में पूर्व में की गई गलत तरमीम को खारीज कर मौके पर
कब्जा काश्त व संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये अनुसार दुरस्त करवाने के आदेश
फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये सम्मन
तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 के ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई आये।
तहसीलदार सेड़वा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया
जाता है रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित खातेदारान एवं मौतबरान के रूबरू ग्राम
गौड़ा के खसरा संख्या 514/73, 515/73 का मौका देखा गया। ग्राम गौड़ा के
खसरा संख्या 514/73 रकबा 5.1557 हैक्ट. (31.17 बीघा) भूमि प्रार्थीगण खेताराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

...राम, लिखमाराम पि. जगमालराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गौड़ा के नाम
...खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण की तीन रहवासी
ढाणियां, टांका एवं चारबाड़े बनाये हुए है तथा कब्जा काश्त कई वर्षों से है।
प्रार्थीगण के खसरा संख्या 514/73 एवं विप्रार्थी नारणाराम पुत्र केशराराम जाति
स्वर्णकार निवासी गौड़ा के खसरा संख्या 515/73 रकबा 5.2204 हैक्ट. (32.05
बीघा) के मध्य कई वर्ष पुरानी माठ मौजूद है तथा उस माठ पर तारबंदी की हुई है
विप्रार्थी नारणाराम के खसरा संख्या 515/73 में रहवासी ढाणी बनी हुई है तथा
ट्यूबेल बनाया हुआ है जिस पर बिजली का कृषि कनेक्शन किया हुआ है। प्रार्थीगण
खेमाराम,देदाराम, लिखमाराम पि. जगमालराम जाति कुम्हार के खेत खसरा संख्या
514/73 तथा विप्रार्थी नारणाराम पुत्र केशाराम जाति स्वर्णकार के खेत खसरा
संख्या 514/73 की लट्ठा ट्रेस एवं विप्रार्थी के वर्तमान लट्ठा ट्रेस में अंकित
तरमीम को संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'अ' वर्तमान तरमीम दर्शित किया गया है तथा
प्रार्थीगण के रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े एवं कब्जा काश्त को हरे रंग से एवं
विप्रार्थी के कब्जा काश्त रहवासी ढाणी, टयूवबेल को बैंगनी रंग से संलग्न नक्शे में
दर्शित किया गया है जिसे संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'ब' कब्जा काश्त अनुसार
प्रस्तावित तरमीम दुरस्ती किया जाना उचित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में
विप्रार्थी संख्या 1 के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार
प्रक्रिया संहिता वास्ते पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। जिस
अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा भूमि खरीदने से पूर्व विक्रेता चीमा पुत्र भीया द्वारा अपनी
संपूर्ण आराजी मौजा गौड़ा खसरा संख्या 73 रकबा 64.10 बीघा में से 1/2 हिस्से
की भूमि (यानी 32.05 बीघा) का बेचान खरीददार तगा पुत्र तुलसा को दिनांक 05.
12.1989 को किया गया था। भूमि का विक्रय करते समय चीमा पुत्र भीया विक्रय
की गई भूमि में एकमात्र खातेदार होने के कारण चारों तरफ से सेढ़ा पाडौसान
लिखाकर अपनी सहमति से अलग तरमीम करवाकर क्रेता को कब्जा सुपुर्द किया
गया था। तरमीम होने के बाद विप्रार्थी के खेत का अलग खसरा संख्या 515/73
बना तथा शेष भूमि मूल खसरा संख्या 73 में रकबा 32.05 बीघा चीमा पुत्र भीया के
नाम से बदस्तूर रही तथा कुछ समय बाद वि... पुत्र भीया फौत होने के
कारण उसके पुत्र मोटा पुत्र चीमा का नाम दर्ज हुआ तथा दिनांक 03.03.1993 को
मोटा पुत्र चीमा द्वारा अपने नाम से शेष रही ... खसरा संख्या 73 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

05 बीघा प्रार्थीगण को विक्रय कर दी। तथा तगा पुत्र तुलसा द्वारा दिनांक 25.06.2009 को खसरा संख्या 515/73 रकबा 32.05 बीघा विप्रार्थी संख्या 1 नारणाराम को विक्रय की गयी थी। इसी प्रकार प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 के जमीन खरीदने से पूर्व ही भूमि का तरमीम (बंटवाड़ा) हो चुका था। तरमीम करते समय प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक–हकूक आराजी में नहीं होने के कारण राजस्व आवेदन प्रथम दृष्टया खारीज करने योग्य है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 किसी भी कर्मचारी द्वारा रेकर्ड मैं भूलवश हुई त्रुटि को सुधारने के लिए है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई रेकर्ड संबंधित कोई त्रुटि नहीं है क्यूंकि तरमीम करते समय विभाजन सरपंच या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत करके नामान्तरण भरा जाता है तो विभाजन की अपील ही की जा सकती है धारा 131, 136 में आवेदन प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही है प्रार्थीगण ये केवल विप्रार्थी की नेखमबंदी में रूकावट पैदा करने व न्यायालय के समय को बर्बाद करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया खारीज करने योग्य है। जिसका जवाब प्रार्थी वकील द्वारा निम्नानुसार है– मौजा गौड़ा के खेत खसरा संख्या 73 रकबा 64.10 बीघा पूर्व में खातेदार चीमा पुत्र भीया के नाम की थी जिसमें से उसने 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण को एवं 1/2 हिस्से विप्रार्थी को बेचान किया। उक्त बेचान में प्रार्थीगण को पहले बेचान किया गया था व विप्रार्थी को बाद में बेचान किया जो सन् 1989 में किया था बेचान के अनुसार प्रार्थीगण काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है व मौके पर उनकी तीन ढाणियां, टांका, चाराबाड़ा आये हुए है। पटवारी हल्का द्वारा प्राथीगण द्वारा खरीद के समय जो म्यूटेशन भरा गया था उसके पश्चात नक्शा में तरमीम की गई। हल्का आर आई पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट भेजी गई उसके अनुसार पूर्व में तरमीम गलत है। धारा 131, 136 आर एल आर एक्ट में राजस्व कर्मचारी व अधिकारी द्वारा रेकर्ड में की गई त्रुटि के संबंध में यह आवेदन पेश किया गया है।

प्रार्थी वकील उपस्थित। उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि विप्रार्थी संख्या 1 के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:19 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

...य है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की तरमीम क्रय करने से पूर्व हो चुकी हैं अतः ...र्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 131, 136 गलत, मनगढ़ंत तथा सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज फरमाया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:19 IST
Reason: SelfAttested